प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'नौ'

[30/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 762]

परि-1

मध्य प्रदेश शास
स्कूल शिक्षा विभ
मंत्रालय

क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006

भोपाल, दिनांक 25/08/2006

प्रति

आयुक्त
लोक शिक्षण
म0प्र0 भोपाल ।

विषयः- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण बावत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है ।

संलग्न- परिशिष्ट एक एवं दो

हस्ता0/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006

भोपाल, दिनांक 25.08.2006

प्रतिलिपिः-

1-- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
2--सचिव म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
3--सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल।
4--समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5--समस्त कलेक्टर, म0प्र0 ।
6--समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0 प्र0 ।
7--समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 ।

हस्ता0/-
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाई स्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेण्डरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेण्डरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10 वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना।
3. कक्षा 11 वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।

2- रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि/सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

सही/-
अवर सचिव,
म0प्र0शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शालाऐं खोलने हेतु वर्तमान तथा नये मापदण्ड

क.	मद	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			हाई स्कूल	
		वर्तमान मापदण्ड		नये मापदण्ड	वर्तमान मापदण्ड	
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला	सह शिक्षा शाला	कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000
2	इसी प्रकार की विद्यमान शाला से निकटतम दूरी	5 कि.मी.	5 कि.मी.	8 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.
3	पोषक शालाओं में फीडर कक्षाओं की कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय / निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड वांछनीय	2 एकड वांछनीय
5	जन सहयोग	अन्य बातें समान होने पर जनसहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।				
6	टीप	1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक – छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नहीं होगी। 2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा । 3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा । हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी तथा माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक / कनिष्ठ विद्यालय हेतु जनसहयोग रा.यो. आदि के बजट से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी ।				